Name of Project: Diversion of 0.32 Ha. of Forest Land for 'Construction of RCC drain at ward 38 (Loni Lal Bag sabji Mandi) along road side district Ghaziabad of Uttar Pradesh State'.

ANNEXURE-III [Project Sanction Letter]

जिलाधिकारी / 21-एल0बी0सी0 / 2020

गाजियाबाद । दिनांकः *21/1*0/,2020

अधिशासी अधिकारी. नगर पालिका परिषद लोनी ।

विषय:-नगर पालिका परिषद,लोनी क्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित आर०सी०सी० नाला निर्माण के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या 2654 / न०पा०परि०-लो०गा० / 2020-21 दिनांक 03.10.2020 का सर्न्दभ ग्रहण करें,जिसके द्वारा इस कार्यालय के पत्र संख्या 71 / 21-एल0बी० सी० / 2020 दिनांक 30.09.2020 के द्वारा अधिशासी अभियन्ता,निर्माण खंड-2, लो०कन०वि० गाजियाबाद द्वारा प्रेषित आंगणन के सम्बंध में लिखा गया है ।

इस सम्बंध में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 05.12. 2019 को विकास कार्यों की वित्तीय एंव प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है । सी०एंड०डी०एस० उ०प्र० जल निगम गाजियाबाद के आंगणन का परीक्षण, मुख्य कोषाधिकारी, गाजियाबाद से कराने पर उनकी टिप्पणी दिनांक 27.05.2020 के कम में लोक निर्माण विभाग से कराने पर, लोक निर्माण विभाग की आख्या दिनांक 08.06.2020 के द्वारा सीवएंडoडीoएसo की ्लागत अधिक बताये जाने पर, वित्तीय हस्तपुरितका में प्रतिपादित मितव्ययता के सिद्धांतों के अनुसार, राजकीय धन का अपव्यय रोकने के उददेश्य से जिलाधिकारी महोदय ने अपने आदेश दिनांक 23.08.2020 के द्वारा उक्त कार्य लोक निर्माण विभाग से कराने सम्बंधी निर्देश दिये गये 官一

चूंकि उपरोक्त की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पूर्व में जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रदान की जा चुकी है, अतः यह धनराशि आपके निस्तारण में है, और इस कार्यालय द्वारा किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं है । अतः इस प्रकरण में अपने स्तर पर नियमानुसार कार्यवाही करते ह्ये

निर्माण कार्य सुनिष्टिचत कराये ।

(कमलेश्र् चित्रि) अपर जिलाधिकारी(भू०अ०) /. व०प्र०अ०स्थ०नि०

गाजियाबाद ।